रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08012021-224289
CG-MH-E-08012021-224289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942
No. 07] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/03.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 112 में, मौजूदा खंड (ख) और परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) के इक्विटी शेयरों में स्टॉक एक्सचेंज में संदर्भ तारीख से ठीक पहले की कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक बारंबार व्यापार हुआ (ट्रेडिंग हुई) हो, और:

(i) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने, संदर्भ तारीख के महीने से ठीक पहले की तिमाही के अंत तक, निवेशकों से प्राप्त शिकायतों में से कम से कम पचानवे प्रतिशत शिकायतों का निवारण कर लिया हो, और;

(ii) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने संदर्भ तारीख से ठीक पहले की कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] का पालन किया हो:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के प्रावधानों का, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पहले के अंतिम तीन वर्षों के दौरान किसी भी तिमाही में, पालन न किया हो, किंतु यदि वह प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करने के समय ऐसे प्रावधानों का पालन कर चुका हो, और प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार पालन न किए जाने के संबंध में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में पर्याप्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) कर दिए गए हों, तो यह मान लिया जाएगा कि शर्त का पालन हो गया है:

परंतु यह और कि जहाँ संप्रवर्तक (प्रोमोटर) प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियों में उतना अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्स्क्राइब करने) का प्रस्ताव करते हैं, जो विनियम 113 के उप-विनियम (1) के खंड (क) में उपलब्ध दो विकल्पों में से जो भी उच्चतर हो उससे अधिक हो, तो वहाँ ऐसे प्रतिशत से अधिक अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) विनियम 164 के प्रावधानों के अनुसार तय की गई कीमत या निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस), जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा।"

II. विनियम 115 में, खंड (ग) के पश्चात् दिए हुए मौजूदा परंतुक का लोप हो जाएगा।

III. विनियम 167 में, मौजूदा उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि अवरुद्धता (लॉक-इन) से संबंधित प्रावधान उतनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) पर लागू नहीं होगा, जितनी 10% सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) संबंधी अपेक्षा पूरी करने के लिए जरूरी हों।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./443/2020-21]

<u>पाद टिप्पण:</u>

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -

   (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा

(ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा

(ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा

(घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/29, द्वारा

(ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा

(च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा

(छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा

(ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा

(ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा

(ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा

(ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा

(ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

I. In regulation 112, the existing clause (b) along with the proviso shall be substituted with the following, namely, -

"(b) where the equity shares of the issuer are frequently traded on a stock exchange for a period of at least three years immediately preceding the reference date, and:

(i) the issuer has redressed at least ninety five per cent of the complaints received from the investors till the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date, and;

(ii) the issuer has been in compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for a minimum period of three years immediately preceding the reference date:

Provided that if the issuer has not complied with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, relating to composition of board of directors, for any quarter during the last three years immediately preceding the date of filing of draft offer document/offer document, but is compliant with such provisions at the time of filing of draft offer document/offer document, and adequate disclosures are made in the offer document about such non-compliances during the three years immediately preceding the date of filing the draft offer document/offer document, it shall be deemed as compliance with the condition:

Provided further that where the promoters propose to subscribe to the specified securities offered to the extent greater than higher of the two options available in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 113, the subscription in excess of such percentage shall be made at a price determined in terms of the provisions of regulation 164 or the issue price, whichever is higher."

II. In regulation 115, the existing proviso after clause (c), shall be omitted.

III. In regulation 167, after the existing sub-regulation (4), the following new proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that the lock-in provision shall not be applicable to the specified securities to the extent to achieve 10% public shareholding."

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty./443/2020-21]

<u>Footnotes</u>:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
   (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
   (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
   (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
   (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.

(e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.

(f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.

(g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.

(h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.

(i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.

(k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.

(l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.

(m) July 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.

(n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM